

राजस्व अपील संख्या 73/2019

अपीलान्त

बनाम

रेस्पोजेन्ट

डूंगरसिंह पुत्र भीकसिंह जाति राजपूत
निवासी आचीणा तहसील खींवसर जिला नागौर।

सरकार जरिये तहसीलदार खींवसर।

उपस्थिति :-

1. श्री भंवरलाल चौधरी अधिवक्ता अपीलान्त की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक:22.11.2019

{1}-मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्त ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, खींवसर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 15/2019 सरकार बनाम डूंगरसिंह में निर्णय दिनांक 28.05.19 के तहत मौजा आचीणा के खसरा नं. 100 रकबा 0.11 बीघा गै.मु. रास्ता भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 29.08.19 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्त की अपील दिनांक 13.09.19 को मियाद के बिन्दु पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोजेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलांत द्वारा अपनी अपील के समर्थन में तहसीलदार खींवसर के प्रकरण सं. 15/19 सरकार बनाम डूंगरसिंह के फर्द अहकाम दिनांक 14.05.19 से 28.05.19 तक की फोटोप्रति, निर्णय दिनांक 28.05.19 की फोटोप्रति, पटवारी रिपोर्ट की फोटोप्रति तथा नोटिस की फोटोप्रति पेश की। रेस्पोजेन्ट की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}-उभयपक्ष के वकूलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्त के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिन्दु पर बताया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की जानकारी अपीलांत को नहीं थी, दिनांक 25.08.19 को गांव मे चर्चा सुनी कि अपीलांत के विरुद्ध धारा 91 आर एल आर के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है, तब अपीलांत तहसील कार्यालय खींवसर गया व दिनांक 26.08.19 को नकले प्राप्त की, इसलिये जानकारी के दिवस से उक्त अपील अंदर मयाद स्वीकार करने का निवेदन किया है। जिसका राजकीय वकील द्वारा विरोध नहीं किया गया है। अतः मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुए अपीलांत की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। वकील अपीलांत ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि-

{2}(I)-अधीनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार अपीलांत को सुनवाई व साक्ष्य सबूत का अवसर दिये बिना ही व पत्रावली का अवलोकन किये बिना ही विधि विरुद्ध आदेश जैर अपील कर दिया जो निरस्तनीय है।

{2}(II)-अपीलांत के विरुद्ध पटवारी हल्का आचीणा ने ग्राम आचीणा के गै.मु. रास्ता खसरा नं. 100 अथवा उसके किसी भू-भाग पर अतिक्रमण की रिपोर्ट मिथ्या की है जबकि अपीलांत का उक्त रास्ते के किसी भू-भाग पर कभी कब्जा नहीं रहा और न ही वर्तमान मे है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का आचीणा की अपीलांत की पीठ पीछे तैयार की गई एकतरफा रिपोर्ट के आधार पर उन्हे अतिक्रमी मानकर निर्णय जैर अपील पारित करने मे कानूनी व वाकियाति भूल की है।

{2}(III)-अपीलांत को दिनांक 28.05.19 की तारीख पेशी का कोई नोटिस तामील नहीं हुआ। जिसका उल्लेख आदेशिका मे भी है। इसके बावजूद भी प्राकृतिक न्याय व स्थापित विधि की अवहेलना करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित कर दिया जो अवैध है।



[2](IV)—तहसीलदार खींवसर ने पत्रावली पर उपलब्ध किसी भी साक्ष्य का पठन नहीं किया और न ही अपने न्यायिक विवेक का उपयोग करते हुए निर्णय पारित किया है। तहसीलदार खींवसर ने पूर्व में प्रिन्टेड निर्णय में केवल रिक्त स्थान भरने का कार्य किया है। रिक्त स्थान भी तहसीलदार स्वयं ने भरे हैं यह भी संदेहस्पद होना प्रकट होता है। इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय जैर अपील निर्णय की परिभाषा में भी नहीं आता है और विधि अनुसार यह अवैध व शून्य है।

[2](V)—अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही निर्णय जैर अपील पारित कर दिया जो अपास्त होने योग्य है।

[2](VI)—अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट के आधार अपीलांट का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा मानकर निर्णय जैर अपील पारित कर दिया जो गलत है।


[3]—राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा आचीणा में स्थित गै.मु. रास्ता भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

[4]— उभयपक्ष के वकूलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके आचीणा के खसरा नंबर 100 रकबा 0.11 बीघा गै.मु. रास्ता भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण किया जाना अभिलेख से पाया गया। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस दिया गया है। आराजी भूमि की किस्म गै.मु. रास्ता है। जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

[5]— उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है।

[6]— निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर